

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
बुलन्दशहर।


प्रशासनिक आदेश संख्या-05/2020  
दिनांकित-अगस्त-31, 2020

आदेश

जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक-4474/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनांक-04 सितम्बर, 2020 के द्वारा यह सूचित किया गया कि दिनांक-04.09.2020 को श्री हरिओम शर्मा, एडवोकेट, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर, जो न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत हैं, कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं तथा इस आधार पर जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा सैनिटाईजेशन हेतु दिनांक-05.09.2020 को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के न्यायालय एवं कार्यालय बन्द किये गये हैं।

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के परिसर में स्थित हैं, इस कारण प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के न्यायालय दिनांक-05.09.2020 को बन्द रहेंगे तथा दिनांक-07.09.2020 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेंगे।

दिनांक-04.09.2020

  
04/09/20


(हरकेश कुमार)

प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।
2. समस्त परिवार न्यायालय

दिनांक-04.09.2020

  
04/09/20

(हरकेश कुमार)

प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।